नम्बर अहकाम हुक्म के ... में जारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...................................A.D.M. Court Bharatpur...................................

———जगदीश प्रसाद गुप्ता एफ0एस0ओ0............................ बनाम .... चन्दरसिंह.......................

किस्म मुकदमा...प्रा0पत्र एफएसए ....04/2016...............नम्बर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10.1.2019	पत्रावली पेश हुई। कोई पक्षकार उपस्थित नहीं। पक्षकारान को आवाजे दिलवायी गई लेकिन प्रकरण में न तो प्रार्थी उपस्थित हुये न ही अप्रार्थी उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर से वांछित गैर सायल क सही पते की रिपोर्ट में काफी लम्बे अर्से से लम्बित है। इस हेतु न्यायालय हाजा से पत्रांक 1250 दिनांक 8.10.2018 भी जारी किया गया था। किन्तु मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी भरतपुर द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अंतर्गत वाद को सिद्ध करने /नियमानुसार न्यायिक प्रकियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व प्रार्थी का ही रहता है। करीब तीन वर्षों से भी अधिक समय से प्रकरण मात्र गैर सायल के सही पते के अभाव में तलबी कार्यवाही में विचारधीन है जिसके लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ताकीद भी की गई है। बाबजूद इसके प्रार्थी की ओर से कोई गैर सायल के सही पते की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे प्रकरण अकारण लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अंतर्गत प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तक्मील में खारिज योग्य ही रहता है। अतः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को हिदायत देते हुये कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त गैर सायल के सही एवं वास्तविक पते सही पते की सूचना अंकित करते हुये पुनः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने की स्वतन्त्रता के साथ यह प्रकरण सिविल प्रकिया संहिता के आर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के तहत इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।	